उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–55/2021–22

चुनू कोड़ा

बनाम्

ध्रुबलाल मोदी वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता चुनू कोड़ा, पे0–सोखीराम कोड़ा, सा0–बेलथू, थाना–ललमटिया, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0–19/18–19 (चुनू कोड़ा बनाम् रैयान मौजा–बेलथू) के आदेश दिनांक–17.08.2021 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पी0ए0 के आदेश दिनांक–17.08.2021 के द्वारा मौजा–बेलथू के पूर्व प्रधान ध्रुबलाल मोदी को प्रधान पद पर यथावत रखा है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0–19/2018–19 के आदेश दिनांक–21.12.2018 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–5 के तहत अपीलकर्त्ता को मौजा–बेलथू का प्रधान नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश दिनांक–21.12.2018 के विरूद्ध उत्तरवादी संख्या–01 ध्रुबलाल मोदी ने इस न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–60/2018 दायर किया था। इस न्यायालय ने निम्न न्यायालय के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के नियम 3 की प्रक्रिया अपनाये नहीं जाने के कारण आदेश दिनांक–25.06.2021 के द्वारा अभिलेख पुनर्विचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को रिमाण्ड किया। उक्त रिमाण्ड आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने डी0बी0 नं0–432 दिनांक–19.07.2021 के द्वारा दिनांक–29.07.2021 को उपस्थित होने के लिए अपीलकर्त्ता को नोटिश दिया गया। अपीलकर्त्ता निम्न न्यायालय में उपस्थित हुए। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा मौजा के रैयतों से राय लेने के लिए दिनांक–30.09.2021 को तिथि निर्धारित किया गया था। लेकिन रैयतों से राय लिये बिना ही उत्तरवादी सं0–01 के पक्ष में आदेश पारित किया गया। जबकि मौजा–बेलथू के कोई भी रैयत उत्तरवादी सं0–01 के पक्ष में नहीं है।

इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी धुबलाल मोदी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बेलथू नं0–04 अंचल बोआरीजोर प्रधानी मौजा है। उत्तरवादी धुबलाल मोदी को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–22/76–77 के आदेश दिनांक–08.03.1978 के द्वारा मौजा–लावा भुजौनी मौजा के साथ मौजा–बेलथू का भी प्रधान नियुक्त किया गया है और तब से मौजा–बेलथू एवं मौजा–लावा भुजौनी के पद पर कार्यरत है एवं शांतिपूर्ण ढंग से दोनों मौजा के प्रधानी पद के कर्त्तव्य का निवर्हन करते आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अपीलकर्त्ता चुनू कोड़ा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–5 के तहत मौजा–बेलथू का प्रधान नियुक्त होने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के समक्ष दिनांक–14.06.2018 को आवेदन दिया, जिसे पी0ए0 केश नं0–19/2018–19 के रूप में पंजीकृत किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें कहा गया कि मौजा–बेलथू प्रधानी मौजा है एवं उत्तरवादी धुबलाल मोदी मौजा–बेलथू के प्रधान है। उन्हें प्रधान के पद से बर्खास्त नहीं किया गया है और न ही उनकी बर्खास्तगी के लिए उनके विरूद्ध कोई अयोग्यता है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने चुनू कोड़ा के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया था। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया था कि धुबलाल मोदी मौजा–बेलथू के प्रधानी पद पर वर्ष 1978 ई0 से कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आदेश दिनांक–21.12.2018 के द्वारा अपीलकर्त्ता चुनू कोड़ा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–5 के तहत मौजा–बेलथू का प्रधान नियुक्त किया गया। उक्त नियुक्ति आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी धुबलाल मोदी के द्वारा आर0एम0ए0 नं0–60/18–19 दायर किया गया। इस न्यायालय के आदेश द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आदेश दिनांक–21.12.2018 के आदेश को खारिज किया गया एवं पुनर्विचार हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को वापस भेजा गया। मामले को वापस भेजने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए पक्षकारों को फिर से नोटिश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पक्षकारों को सुनने के बाद कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाते हुए उत्तरवादी धुबलाल मोदी को प्रधानी पद पर बने रहने के लिए दिनांक–21.08.2021 को आदेश पारित किया गया। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी धुबलाल मोदी के प्रधानी

पद के अयोग्यता के संबंध में किसी को भी आपत्ति नहीं है। रैयतों में उत्तरवादी ध्रुवलाल मोदी आम तौर पर स्वीकार्य है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के नियम 3 में उल्लेखित किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। अपीलकर्त्ता की ओर से वर्तमान अपील आवेदन में नियम विरूद्ध कोई तथ्य नहीं लाया है। इसलिए अपील आवेदन खारिज करने योग्य है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को वरकरार रखने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के वहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–वेलथू नं0–04 के प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के नियुक्त प्रधान उत्तरवादी ध्रुवलाल मोदी है। उत्तरवादी ध्रुवलाल मोदी की नियुक्ति पी0ए0 केश नं0–22 / 1976–77 आदेश दिनांक–08.03.1978 के द्वारा की गयी है। लेकिन उत्तरवादी ध्रुवलाल मोदी को प्रधानी पद से वर्खास्त किये विना ही अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0–19 / 2018–19 के आदेश दिनांक–21.12.2018 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा–वेलथू का प्रधान नियुक्त किया गया था। उक्त नियुक्ति के विरूद्ध उत्तरवादी ध्रुवलाल मोदी के द्वारा आर0एम0ए0 नं0– 60 / 2018–19 दायर किया गया था। आर0एम0ए0 नं0–60 / 2018–19 के आदेश दिनांक–25.06.2021 के द्वारा अभिलेख पुनर्विचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को रिमाण्ड किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पारित आदेश दिनांक–17.08.2021 के द्वारा मौजा–बेलथू के पूर्व प्रधान ध्रुवलाल मोदी को प्रधानी पद पर यथावत रखा गया है। चूँकि मौजा–बेलथू के नियुक्त प्रधान ध्रुवलाल मोदी को प्रधानी पद से न तो बर्खास्त किया था और न ही उनके प्रधानी पद के अयोग्यता के संबंध में कोई आवेदन दिया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0–19 / 2018–19 में दिनांक–17.08.2021 के पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0–19 / 2018–19 में दिनांक–17.08.2021 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.21 16:59:03 +05:30
Location: 172.17.208.1

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

RMA No. 55-2021-22